

फर्द अहकाम

लय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) सभास्थान
 बनाम जे. पी. एम. कोरे
 ना संख्या / वर्ष 71/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/1/20	<p>वकील (आधी) खात्री उपमा वकील खात्री ने पत्रक उपर है उक्त पत्रक। वकील खात्री के उक्त इतरार्थ पर दिया जाता है कि सभाकी नारीय पेशी पर जवाब उपपर फेर नहीं जाने व पत्रक स्वतः रू. वरु सभाकी जमानत। पत्रपत्नी 150 181/20 के पत्र है।</p>	
15/1/20	<p>वकील उक्त पत्र 700। वकील खात्री के सेपेकरी को पत्रक फेर वरु है उक्त पत्रक। वकील खात्री जो पत्रक से रखते उक्त पत्रक। उक्त पत्रपत्नी 150 20/1/20 के पत्र है।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) सभास्थान</p>
23/1/20	<p>वकील उक्त पत्र 300। वकील खात्री व खात्री के पत्रक उपपर पर वरु उरुगी। मूलवाद पर कयाशक है। पत्रक उपपर को उरुगी जिसे खात्री के जमानत जिसे जका उरुगी उरुगी है।</p> <p>उक्त: वकी व उरुगी को फेर को कयाशक जिसे खात्री से जमानत जिसे जका है कि उरुगी जमानत 100। उक्त 0.4455 उरुगी वरु खात्री खात्री उरुगी शाहपुरा के मोवे की कयाशक मूलवाद के निमित्त तब कयाशक रहे। पत्रपत्नी उक्त उरुगी मूलवाद के उरुगी रहे।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) सभास्थान</p>